प्रैस विज्ञप्ति
विकलांगों के कल्याण हेतु हरियाणा ग्रामीण बैंक की पहल

रोहतक, 7 दिसम्बर।

हरियाणा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रोहतक एवं नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार के मध्य आज रोहतक में एक समझौते पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा ग्रामीण बैंक की ओर से अध्यक्ष श्री एम.के.पांगती तथा नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन की तरफ से श्री हर्षभाल, अध्यक्ष एवं प्रबन्धन निदेशक ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अन्तर्गत हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा प्रदेश में विकलांगों के उत्थान के लिए क्रेडिट गारन्टी स्कीम के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगा। इसमें विकलांग महिलाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की ब्याज दरों पर 1 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा ग्रामीण बैंक गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं लागू करके पहले से ही अग्रणी रहा है।

समझौते के अनुसार लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण केवल क्रेडिट गारण्टी स्कीम के तहत सुरक्षित रहेंगे। विकलांगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु सस्ती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे।

हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रदेश भर में कार्यरत 231 शाखाओं के माध्यम से इन योजनाओं का कार्यान्वयन करेगा। इस समझौते के अवसर पर बैंक के अध्यक्ष श्री एम.के.पांगती एवं बैंक के महाप्रबन्धक श्री एच.एस.सहल, श्री गजेन्द्र कुमार, श्री जे.एल.काचरू तथा नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन की तरफ से श्री ए.के.डे., उपमहाप्रबन्धक, डॉ. विनीत राणा, प्रबन्धक (परियोजना) व श्री सुधीर सिंह, जिला प्रबन्धक, हरियाणा पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम उपस्थित थे।